समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या–07 / 2023 (प्रकीर्ण)

उपस्थित

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)
श्री एन0 के0 जोशी (तकनीकी सदस्य)
श्री विपिन बनियाल (उपभोक्ता सदस्य)

परिवादी– श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री सियाराम, ग्राम एंदी पो0 श्रीकोट जौनपुर टिहरी गढ़वाल।

बनाम

विपक्षी– अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, टिहरी।

परिवाद प्रस्तुति का दिनांक–18 / 09 / 2023
निर्णय का दिनांक– 27 / 09 / 2023

:: निर्णय ::

परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री सियाराम, ग्राम एंदी पो0 श्रीकोट जौनपुर टिहरी गढ़वाल का प्रार्थना पत्र दिनांक 18 / 09 / 2023 को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ, जो कि संयोजन संख्या–टीएच14एन15063343, भार एक किलोवाट और श्रेणी अदर डोमेस्टिक से संबंधित है। प्रार्थना पत्र में परिवादी का कहना है कि उनके द्वारा पूर्व में वाद संख्या 39 / 2023 योजित किया गया था, जिसके क्रम में मंच द्वारा दिनांक–14 अगस्त 2023 को अपने आदेश में विभाग को संशोधित बिल उपलब्ध कराने के लिए आदेशित किया गया था। परिवादी का कहना है कि विपक्षी विभाग ने मंच के आदेश का अनुपालन नहीं किया है। उन्हें संशोधित बिल नहीं दिया गया है। परिवादी ने मंच से इस संबंध में कार्रवाई का अनुरोध किया है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकीर्ण वाद दर्ज करते हुए मंच द्वारा विपक्षी विभाग को पत्रांक 156 / 2023 / वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम / दिनांक– 18 / 09 / 2023 के मार्फत नोटिस दिया गया और दिनांक–27 / 09 / 2023 तक आख्या प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक–4982 / वि0वि0ख0टि / दिनांक–26 / 09 / 2023 के मार्फत मंच के समक्ष आख्या प्रस्तुत की गई है, जिसमें अवगत कराया गया है कि उपरोक्त संयोजन पर निर्गत बिल रु0 29635.00 (उन्तीस हजार छः सौ पैंतीस) को संशोधित कर दिया गया है। संशोधित बिल की धनराशि रु0 6816.00 (छः हजार आठ सौ सोलह) है जिसे उपभोक्ता द्वारा जमा किया जाना शेष है।

उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

तकनीकी सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

27/09/23
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

इस परिवाद की सुनवाई दिनांक– 27.09.2023 को की गई। परिवादी ने अपने परिवाद की स्वयं पैरवी की, जबकि विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियंता अमित आनंद ने तर्क पेश किए। परिवादी द्वारा फोन के जरिये अपना पक्ष रखते हुए इस संशोधित बिल पर सहमति प्रकट की गई है।

उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों के अवलोकन के बाद मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग की ओर से परिवादी का बिल संशोधित कर धनराशि रु0 6816.00 (छः हजार आठ सौ सोलह) का बना दिया गया है, जो कि सही है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को संशोधित बिल उपलब्ध कराना उचित रहेगा। शिकायत निस्तारित हो जाने के बाद परिवाद के गतिमान रहने का औचित्य समाप्त हो गया है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। परिवाद का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बडसमैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

27/09/23	27/9/23	27/09/23
(विपिन बनियाल)	(एन0के0 जोशी)	(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी	विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी	विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी